

क्रमांक:- आर.एन.सी./2023/जीबी/11589-A

दिनांक:- 9.10.2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 04.10.23 के एजेन्डा संख्या 32 एवं 37 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नांकित शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

क्र. म.	कार्य	शुल्क
1.	अंकतालिका, डिप्लोमा एवं रजिस्ट्रेशन निजी संस्थानों के द्वारा कौंसिल से प्रमाणीकरण कराये जाने पर प्रमाणीकरण शुल्क	प्रति प्रमाणीकरण 300 रु.+ GST
2.	अंकतालिका, डिप्लोमा एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में शुद्धिकरण शुल्क	प्रति प्रपत्र 200 रु.+ GST

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है एवं दिनांक 01.12.2023 से प्रभावी होंगे।

(डॉ. शशिकान्त शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2023/जीबी/

दिनांक:-

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2. सर्वर रूम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
3. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर